



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 22 दिसम्बर, 2011 ई०
पौष 01, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-9

संख्या 779/XXVII(9)/2011/स्टाम्प-55/2011
देहरादून, 22 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

प० आ०-177

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके चकराता रोड, देहरादून के चौड़ीकरण से प्रभावित होने वाले व्यवसायियों एवं आवासरत् व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु विक्रय पत्र के माध्यम से अंतरित किये जाने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डॉ० हेमलता ढौडियाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 779/XXVII(9)/2011/Stamp-55/2011, Dehradun, dated December 22, 2011 for general information:

No. 779/XXVII(9)/2011/Stamp-55/2011
Dated Dehradun, December 22, 2011

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No.2 of 1899), the Governor is pleased to remit the stamp fees chargeable by State Government in respect of transfer of Property/land to be allotted to the person effected due to enlargement of width of Chakrata road, Dehradun.

By Order,

Dr. HEMLATA DHAUNDIYAL,
Secretary.